□□□□ □□□□□

□□□ □त्र□□□

(□□□□, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, □□□□□, सिद्ध एवं होम्यो□□□)

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न सं. 1891

29 □□म्□□, 2019 **को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

□□□□ □' □□f□ **परीक्षण प्र□□□□□□□□**

1891. **श्री श्री□□ □प□□ □□□□□:**
श्री f□□□□ □□□□□ □□□□:
श्री □□ □□ □□ □f□□□□□□ □□ :
श्री □□न□ □□f□□:
श्री □□□f□□ □□□f□□ □□□□□:

क्□ □□□□□, □□□ □□ **प्राकृतिक** f□f□त□□, □□□□□, f□द्ध □□ □म्□□□□ (□□□□) □त्री □□ □□□□□□ □□□ □□□□f□:

(□) क्□ '□□□' □□□क्र□ □□f□□ □□f□ □□क्ष□ प्र□□□□□□□□□ □□ख□ □□ □□□ □□ □ □□□□ '□□□' □□f□□ □□प्र□□□ □□ □□ प्र□□ □□□□ □;

(□) '□□□' □□f□□ □□ □ □□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र-□□ f□□□□ □□f□ परीक्षण प्र□□□□□□□□□□□□□ □ □□ f□□□□ प्र□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ f□□□□ □;

(□) f□□□ □□□ □□f □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ प्र□□□□□□ f□□□□ f□f□ □□f□□ □□ □□ □;

(□) '□□□' □□f□□ □□f□ परीक्षण प्र□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□क्ष□ □□□□□□ □□ □त्र f□द□□□□ □;

(□) क्□ □□□□□ □□ □□□□ □□f□□ □□विरुद्ध □□रू□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ सुनिश्चित □□□□□□□□ □f□□□□ □□□ □□□□□□ f□□□□ □□□□ □f□ □□□□ □त□□□□ ब□□□ क्□ □□□□

(□) □□□□□ द□□□□ □□ □ '□□□' □□□क्र□ □□ □□f□ परीक्षण प्र□□□□□□□□ □□□□रुद्ध□ □□□क्□ □□□□ □□□□ □□ □/□□□□ □□ □□□□?

<u>□त□□</u>

<u>□□□□ □□ज□ □त्री (स्□तंत्र प्रभार) (श्री श्रीपाद येसो नाईक)</u>

(□) □□ (□): सरकार ने राष्ट्री□ □□□ f□□□ □□□□□□ □□□□, सिद्ध, □□□□ □□□□म्□□□□□ □□□ □□ □□□त□□ नियंत्रण स्का□ □□□□□□ 27 □□ज□ औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायता प्रदान की है। देश में □□□□□एंड एच औषधों के परीक्षण हेतु औषधि प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 □□□□□□ 58 f□□□ □□□ परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी अनुमोदित किया है। इसके अतिरिक्त, □□□□□ f□f□त□□ भेषजसंहिता प्रयोगशाला (□□□□□□□□) □□ □म्□□□□ □□□□f□□□ प्र□□□□□□ (□□□□□□), □□□□□□□□ □□□□ □□ □द्री□ □□□ परीक्षण प्रयोगशालाएं ह जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 □□□□□□ □□□□□ प्र□□□□□□□□ ह। देश म बिक्री के लिए विनिर्मित की जा रही आयुर्वेदीय एवं यूनानी औषधियों के विनियमन तथा गुणवत्ता f□त्र□ □□प्र□□□□ □□f□ □□प्र□□□□ सामग्री अधिनियम, 1940 □ f□□□□□□, 1945 म विनिर्दिष्ट f□□

गए ह। इन प्रावधानों का प्रवतन राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारियों तथा औषध नियंत्रक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। चूंकि आयुवद और यूनानी को जाली औषधियों की परिभाषा और □□ □□ □□ □□प्र□□□न औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 □ी □□□ 33-□ □ दिए गए ह, □□ि□□ □ि□□ीं □□ न्□ायालय द्वारा यथानिर्धारित आर्थिक जुर्माना और तीन वष की अवधि तक □ी □□ □ी □□□ से दंडित किया □□ □□□□ □□

(□) □□ (□): राष्ट्री□ □□□ ि□□□ □□अंतगत एएसयू एंड एच औषधों की गुणवत्ता ि□□त्र□ स□ी□ □□ि□□ पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित की गई निधियों का विवरण □□ग□□ म दिया गया है। □□□□ □□□ज्□ □□□ □□ोक्ष□ प्र□□□□□□□ □□□□ □□□□□औषधों की फार्मासियों की समय-□□□ □□ □□ि□□ □□□ ि□त□य प्रगति एवं कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय अनुवीक्षा टीम गठित की है।

(□.) □□ (□): जाली औषधियों के विरुद्ध जागरुकता उत्पन्□ करने और सावर्जनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी राज्यों/□□ □□ज्□ क्षेत्रों के राज्य ि□ि□□□□ स□□□, एएसयू औषध विनिमाण एककों, □□□ □□□ी □ी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु सात प्रशिक्षण कायक्रम आयोजित किए ह□ निम्नलिखित अन्य □□□ □□ □□□□ □□ □:

1. □□□□□ ि□ि□त□ भेषजसंहिता प्रयोगशाला (पीएलआईएम) और होम्यो□□ □□□□ि□□ प्र□□□□□□ (□□□□□□), □□□□□□□□ □□ज्□ विनियामकों, □□□ □□ोक्ष□ प्र□□□□□□□ □फार्मासियों के प्रभारियों के लिए प्रतिवष प्रशिक्षण कायक्रम आयोजित कर रहा ह।
2. □□ज्□ों/□□ □□ज्□ क्षेत्रों को निदश दिए गए ह कि दिनांक 12.02.2019 □□□□ □□□□□□ □□ज्ञ□□□ आवदनों के परीक्षण हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए तथा राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारियों एवं निरीक्षकों के लिए नियंत्र□ प्राधिकारी नियुक्त ि□□ □□□□
3. एएसयू एंड एच औषधि विनिमाताओं के अनुज्ञापन आवेदनों की ऑनलाइन प्रस्तुति□ □□□ि□□□□ □□□ उन्ह प्र□□ □त्र □□□□ि□□ □-औषधि पोटल विकसित किया गया है।
4. □□□ □त्रा□□ □□09 विनियामक पदों के सृजन हेतु 24.7.2019 को एक अधिसूचना जारी की है जिसम □□ □□□ ि□□त्र□ी (01), सहायक औषध नियंत्रकों (04) (आयुवद, □म्□□□□, यूनानी और सिद्ध औषधों प्रत्ये□ □□ि□□ □□) और औषध निरीक्षकों (04) (आयुवद, □म्□□□□, यूनानी और सिद्ध औषधों प्रत्ये□ □□ि□□ □□) □□□□ □□ि□□ □□ □□□□ व्य विभाग द्वारा अपनी अं वि सं. 1141843/□-□□न्□□-I)/2019 दिनांक 12.7.2019 द्वारा अनुमोदित किए गए थे। इन पदों के भर्ती नियमों को कार्मिक □□□ प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और विधि मंत्रालय के परामश से अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि नियमित पदधारियों की भर्ती शुरू की जा सके। इसी बीच इन पदों को आयुष मंत्रालय के तकनीकी अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर क्रियाशील बना ि□□ □□□ □□

[illegible] वर्षों और चालू वष के दौरान औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को [illegible]

[illegible]

क्र.[illegible]	[illegible]/[illegible] क्षेत्र [illegible]	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	[illegible]
1.	[illegible]	-	-	-	-	-
2.	[illegible]	210.00	-	-	25.95	235.95
3.	[illegible]	41.86	36.96	19.60	-	98.42
4.	[illegible]	20.60	51.00	-	-	71.60
5.	[illegible]	-	-	-	-	-
6.	[illegible]	-	-	-	-	-
7.	[illegible]	-	6.10	-	-	6.10
8.	[illegible]	-	-	-	-	-
9.	[illegible]	-	-	16.00	18.00	34.00
10.	[illegible]	20.72	-	55.16	20.00	95.88
11.	[illegible]	-	-	12.00	-	12.00
12.	[illegible]	-	-	-	-	-
13.	[illegible]	-	35.42	65.00	-	100.42
14.	[illegible]	45.00	89.84	-	-	134.84
15.	[illegible]	-	-	-	-	-
16.	[illegible]	-	-	-	-	-
17.	[illegible]	-	80.00	-	-	80.00
18.	[illegible]	-	-	97.01	15.00	112.01
19.	[illegible]	19.06	-	-	10.00	19.06
20.	[illegible]	-	25.00	25.00	-	50.00
21.	[illegible]	9.92	73.61	10.00	76.62	170.15
22.	[illegible]	8.00	-	-	-	8.00
23.	[illegible]	52.00	-	-	-	52.00
24.	[illegible]	-	39.10	14.87	-	53.97
25.	[illegible]	-	-	-	-	-
26.	[illegible]	15.50	-	7.20	-	22.70
27.	[illegible]	-	25.00	-	-	25.00
28.	[illegible]	16.40	19.34	-	-	35.74
29.	[illegible]	200.00	-	50.00	-	250.00
30.	[illegible]	23.00	10.75	51.40	-	85.15
31.	[illegible]	-	20.00	20.00	10.00	50.00
	[illegible]	682.06	512.124	443.24	175.57	1802.99

*****